

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्या: 69/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. पिस्ता उम्र 50 साल पत्नी नाहर सिंह
2. लक्ष्मी उम्र 30 साल पुत्री नाहर सिंह
3. फूलसिंह उम्र 24 साल पुत्र नाहर सिंह
4. सज्जन सिंह उम्र 22 साल पुत्र नाहर सिंह
5. प्यारसिंह उम्र 18 साल पुत्र नाहर सिंह

जाति जाट निवासीयान ग्राम
नगला खटका, तहसील
बयाना जिला भरतपुर

अपीलान्त

बनाम

1. तहसीलदार तहसील बयाना जिला भरतपुर
2. मानसिंह उम्र 40 साल पुत्र बलराम सिंह
3. नाहरसिंह उम्र 64 साल पुत्र चौदूं

जाति जाट निवासीयान
नगला खटका तहसील
बयाना जिला भरतपुर

रैस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक
08.08.2017 व इन्तकाल नम्बर 497 वाकै ग्राम
नगला खटका तहसील बयाना जिला भरतपुर।


उपस्थिति:-

1. श्री रमनलाल मित्तल वकील रैस्पोंड

निर्णय


दिनांक : 28.06.2019

अपीलान्तान द्वारा यह अपील विरुद्ध रैस्पोंड व खिलाफ आदेश दिनांक
08.08.2017 तहसीलदार बयाना बाबत किये जाने निरस्त नामान्तकरण संख्या


अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

497 वाकै ग्राम नगला खटका तहसील बयाना पेश की गई है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। की गई। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बरान 9 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 16 रकवा 0.35 हैक्टेयर, 17 रकवा 0.01 हैक्टेयर किता 3 कुल रकवा 64 हैक्टेयर जिनका साविक खसरा नम्बरान 07 रकवा 14 विस्वा, 8 रकवा 18 विस्वा, 12 रकवा 2 वीघा 0.03 विस्वा किता 4 कुल रकवा 4 वीघा वाकै ग्राम नगला खटका तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है जो एक पैतृक कृषि भूमि है जिसमें अपीलान्टस के पिता रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम कर्ता खानदान होने की वजह से 1/2 हिस्से का कथित खातेदारी राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में इन्द्राजित हो गई। जबकि उक्त भूमि अपीलान्टस संख्या 1 के ससुर और अपीलान्टस संख्या 2 लगायत 5 के बाबा चौदूं की छोड़ी हुई पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्टस का सहदायगी काश्तकारी अधिकार वाई वर्थ से प्राप्त हो गये थें। और अपीलान्टस अपने हिस्से 5/6 पर निर्विवाध रूप से काश्त करते चले आ रहे थे। स्टे होने के बाबजूद रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को शराब व मांस का सैवन कराकर दिनांक 28.07.2017 को फिक्टीसियस विक्रय पत्र अपने हक में 1/2 हिस्सा से 1/2 हिस्सा यानि कुल रकवा से 1/4 हिस्सा का बिना किसी प्रतिफल अदा किये सब रजिस्ट्रार बयाना से साज करते हुये पंजीबद्ध करा लिया और वर्तमान पटवारी हल्का व तहसीलदार बयाना से कथित फिक्टीसियस अवैध व गैरकानूनी विक्रय पत्र तारीखी 27.07.2017 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 497 दिनांक 02.08.2017 को दर्ज करवाकर दिनांक 08.08.2017 को मंजूर करा लिया। जबकि तहसीलदार बयाना को बयानामा के आधार पर दाखिल खारिज कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अन्दर म्याद मंजूर करने का प्रावधान नहीं है फिर भी जानकर साज करते हुये दाखिल खारिज मंजूर करने में भारी गलती की थी। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दाखिल खारिज संख्या 497 मंजूरी आदेश दिनांक 08.08.2017 को निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

नियत दिनांक को ताकीद किये जाने के उपरान्त भी वावजूद सूचना वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में बार-बार अवसर देने के उपरान्त भी बहस नहीं की और न ही लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिहाजा वकील रैस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक रैसपो0 ने अपने कथनों में जाहिर किया कि रैसपो0 नम्बर 3 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसने अपनी खातेदारी आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 28.07.2017 से रैसपो0 संख्या 2 मानसिंह को विक्रय किया गया है। योग्य अभिभाषक रैसपोडेन्ट का यह भी कहना है कि रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर तहसीलदार बयाना ने नामान्तकरण संख्यां 497 के द्वारा केता रैसपो0 संख्या 2 मानसिंह के नाम स्वीकार किया गया है जो नियमानुसार है। उसमें तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्र दिनांक 27.07.2017 जो कि उपखण्ड अधिकारी बयाना को लिखा जाकर तहसीलदार बयाना को प्रतिलिपि दी गई है की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि उपखण्ड अधिकारी बयाना का स्थगन आदेश को स्थगित कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि नामान्तरकरण स्वीकार के वक्त उपखण्ड अधिकारी बयाना का स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्त द्वारा मौखिक बहस एव लिखित बहस पेश किये जाने हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद कोई मौखिक या लिखित बहस पेश नहीं की गई है। अस्तु अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में उल्लेखित कथनों का अवलोकन किया गया। अपीलान्त द्वारा अपील में अंकित कथनों की ताईद में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है। विवादित नामान्तकरण संख्या 497 के अवलोकन से जाहिर है कि यह नामान्तकरण रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28.07.2017 के आधार पर रैसपो0 संख्या 2 मानसिंह के नाम तहसीलदार बयाना द्वारा दिनांक 08.08.2017 को स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक रैसपो0 द्वारा फार्म नम्बर 03 के साथ प्रस्तुत फोटों प्रति न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्र दिनांक 27.07.2017 जो कि उपखण्ड अधिकारी बयाना को लिखा गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के आदेश दिनांक 06.07.2017 की क्रियान्विति दिनांक 12.10.2017 तक स्थगित की गई है। इससे यह निर्विवाद है कि विवादित नामान्तकरण स्वीकार दिनांक 08.08.17 को स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है जिसमें किसी के हक हकूक तय नहीं किये जाते हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हिसीलदार बयाना द्वारा अपीलधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


28/6/19
(नारायणसिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर